भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2231**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों से संबंधित आंकड़ा**

**2231. श्री मनसुख एल॰ मांडवियाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला कैदियों के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों से परामर्श करके आज की तिथि तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है; और

(ग) क्या सरकार के पास वर्तमान में महिला कैदियों के साथ जेल में रह रहे मासूम बच्चों की संख्या के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़ा है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): ''जेल'' भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्‍टि चार के तहत राज्‍य का विषय है। अत: जेल का प्रबंधन एंव प्रशासन मुख्‍य रूप से राज्‍य सरकारों की जिम्‍मेदारी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून का उल्‍लंघन करने वाले बच्‍चों सहित कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों के कल्‍याण में सुधार में योगदान के लिए 2009-10 में समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) नामक एक केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम शुरू की है। आईसीपीएस के तहत कैदी महिलाओं के बच्‍चों जिनको देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत है, सहित ऐसे बच्‍चों के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता दी जाती है। इनमें बाल गृहों में नियोजन यदि उक्‍त बच्‍चे की देखभाल करने के लिए कोई परिवार नहीं है, अथवा प्रायोजन सहायता यदि बच्‍चा परिवार के साथ रहता है (शिक्षा के लिए वित्‍तीय सहायता) शामिल है ताकि सुनिश्‍चित हो कि अबाध रूप से उनकी शिक्षा जारी रहे। बाल गृह में डाले जाने के बाद उक्‍त बच्‍चे अनेक तरह की देखरेख एवं सहायता प्राप्‍त करेंगे जिसमें भोजन, शिक्षा, चिकित्‍सा ध्‍यान, व्‍यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि शामिल हैं ताकि वे पारिवारिक परिस्‍थितियों में व्‍यवधान के बावजूद अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकसित हो सकें।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ‘उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा जारी महिला कैदियों के बच्‍चों के लिए सुविधाओं के संबंध में’ पर एक व्‍यापक परामर्शी दिनांक 15 मई, 2006 जारी किया है जिसमें अन्‍य बातों के साथ महिला कैदियों के बच्‍चों को शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान करने तथा महिला कैदियों के बच्‍चों के लिए जेल से संबद्ध शिशु गृह एवं नर्सरी के प्रावधान के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा कदम उठाए जाने को प्रावधान है- तीन साल से कम आयु के बच्‍चे शिशु गृहों में अनुमत होंगे, जबकि तीन से छ: साल की आयु के बच्‍चों की देखभाल नर्सरी में होगी।

(ग): 2014 के अंत में राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित डाटा के अनुसार देश के जेलों में अपनी माताओं के साथ 1817 बच्‍चे रह रहे थे। इसके अलावा एनसीआरबी ने बताया है कि उनके पास नवीनतम आंकड़ा उपलब्‍ध नहीं है।

\*\*\*\*\*